

सम्मानित कृषक बन्धुओं हेतु सूचना

किशन गाइयो,

गया आप जानते हैं कि:

- (1) फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर उत्पाद कम होती है।
- (2) किसी बुलावे की गूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
- (3) यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी0 ऊँची मेड से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लेंगा।
- (4) **तावना** : यदि किसी खेत की सिंचाई अकेलानिक दम से की गई हो तो सींच कर अतिरिक्त चार गुना तक लगाया जायेगा।
- (5) **आवजाया** : यदि नहर का पानी बोरो खेत में फैला है तथा गहराई 15 सेमी0 से अधिक हो तो दुपना, यदि 30 सेमी0 से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा लेंगा।
- (6) **सिंचाई कर में छूट** : दैवी आपदा जैसे आला/पाला/टिड्डी/माहू आदि में फसल नष्ट हो जाए तो 49 प्रतिशत पर कुछ नही, 50से 74 प्रतिशत पर आधा तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर में देय है।
- (7) **गलत इन्दाज** : असिंचित खेत यदि सिंचित लिखा हो तो पर्व वितरण के 21 दिन के अन्दर यदि डाल सींच को तोड़ तथा गलत लिख अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र अधिशाही अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सुपरजन्स अधिकारी/जिलेदार में से किसी को देना चाहिए अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न ले सम्पर्क करें।

- अधीनस्थ अभियन्ता** : नये कुलाबों की मांग, कमाण्ड विनाजान, दहन तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तालाब के लिए अपील।
- अधिशाही अभियन्ता** : नहरों का संचालन, नहर सम्पत्ति की नीलामी एवं भूमि का प्रतिकर एवं खादी से हानि, नालों की सफाई नहर आवजाया एवं तालाब।
- सहायक अभियन्ता** : कुलाबों का स्थान एवं दहन की त्रुटि, पानी की मांग, नहरों की टेली पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।
- उपराजस्व अधिकारी** : गलत, इन्दाज, फसल सोख, मिसमरी गूल।
- जिलेदार** : पर्व वितरण, गलत इन्दाज।
- अवर अभियन्ता** : टेली पर पानी की कमी, खादी, कांटिंग, नहर एवं नालों की सफाई तथा कुलाबों का सही ढंग से लगाना।

सूचना :

- व्या करें -
- (क) 1. सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
 2. पानी उचित गहराई से ही लगायें।
 3. पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें।
 4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कांटिंग खादी होने पर अवर अभियन्ता, सींच पाल सींच पर्यवेक्षक अथवा जिलेदार को सूचित करें।
 - (ख) नहर न काटे, बचा न लगायें, कुलाबों के स्थान में परिवर्तन न करें। यह दृष्टान्तीय अपरम है। यदि आप ऊपर लिखी बातों पर ध्यान देने तो नहर की टेल पर पानी अवश्य पहुँचेगा। विद्यमान नहरों में अधिक से अधिक पानी पहुँचाने में हम तत्परिणत हुए हैं।
 - (ग) समस्याओं के निराकरण हेतु किसी भी कार्य विचय में अधिकारियों से तथा माह के द्वितीय सुचकर को सिंचाई बन्धु क्लै बेटक में अधिशाही अभियन्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।


खरीफ 1425 फसली वर्ष 2017-18 जिला सिंचाई उर्जा सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया

प्रभाती अधिकारियों / कर्मचारियों का परिचय

अधिशाही अभियन्ता, उन्नाव खण्ड शारदा नहर-उन्नाव टेलीफोन: कार्यालय 2820235

क्र.सं.	एनवहे एवं अधिकार्यो रीच सहित	अवर अभियन्ता/अनुमाग	जिलेदार/जिलेदारी	सहायक अभियन्ता/उपखण्ड	उप राजस्व अधिकारी
1.	पुरवा शाखा 0.0 से 23.200 कि०मी० तक	श्री जगुना प्रसाद (सैनिक)	श्री मनीष कुमार तिवारी	श्री ज्ञान चन्द्र (तृतीय)	श्री राकेश कुमार
2.	पुरवा शाखा 23.200 से 36.200 कि०मी० तक	श्री के.ए. कुमार (पुरवा)	श्री जगुना प्रसाद (सैनिक)	श्री ज्ञान चन्द्र (तृतीय)	श्री राकेश कुमार
3.	पुरवा शाखा 36.200 से 48.00 कि०मी० तक	श्री जगुना प्रसाद (सैनिक)	श्री जगुना प्रसाद (सैनिक)	श्री ज्ञान चन्द्र (तृतीय)	श्री राकेश कुमार


सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश मण्डल-षष्ठम मण्डल सिंचाई कार्य-लखनऊ उन्नाव खण्ड, शारदा नहर उन्नाव



‘सिचनेन समृद्धि भवति’
पुरवा शाखा प्रणाली
(प्रथम भाग)

रोस्टर खरीफ
1425 फसली
वर्ष 2017-18

(संजीव कुमार झा)
अधिशाही अभियन्ता
उन्नाव खण्ड-शारदा नहर
उन्नाव



सम्मानित कृषक बन्धुओं हेतु सूचना

किसान भाइयों,

व्याप आप जानते हैं कि:

- (1) फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर उपज कम होती है।
- (2) किसी कुलाबे की मूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
- (3) यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी० ऊँची नइ से आगमन में लिया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लेंगे।
- (4) **तांबा** : यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक ढंग से की गई हो तो सींच बन्द और त्रिंका चार गुना तक लगाया जायेगा।
- (5) **जाबजामा** : यदि नहर का पानी बोरे खेत में जंढता है तथा गहराई 15 सेमी० से अधिक हो तो दुगना, यदि 30 सेमी० से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा, लेंगे।
- (6) **सिंचाई कर में छूट** : देवी आपदा जैसे ओला/पाला/टिड्डी/गाहू आदि में फसल नष्ट हो जाए तो 49 प्रतिशत पर कुछ नहीं 50से 74 प्रतिशत पर आधा तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर में देय है।
- (7) **गलत इन्द्राज** : अतिविक्र खेत यदि सिंचित लिखा हो तो पूर्ण वितरण के 21 दिन के अन्दर यदि डाल सींच की तोड़ तथा गलत विन्स अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार में से किसी को देना चाहिए अन्यथा अनान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें।

- अधीक्षण अभियन्ता** : नये कुलाबों की मांग, कमान्ड विभाजन दहन तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के लिए अपील।
- अधिशाषी अभियन्ता** : नहरों का संचालन, नहर सम्पत्ति की नौलासी एवं मूमि का परिवर्तन एवं खादी से हाथी, नालों की सफाई नहर आबजावा एवं तावान।
- सहायक अभियन्ता** : कुलाबों का स्थान एवं दहन की जुटि पानी की मांग, नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।
- उपराजस्व अधिकारी** : गलत, इन्द्राज, फसल सोख, मिसमरी गूल।
- जिलेदार** : पूर्ण वितरण, गलत इन्द्राज।
- अवर अभियन्ता** : टेलों पर पानी की कमी, खादी, कटिंग, नहर एवं नालों की सफाई तथा कुलाबों का सही ढंग से लगाना।

सूचना :

- व्याप करें -
- (क) 1. सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
 2. पानी उचित गहराई से ही लगाये।
 3. पानी लगान के बाद कुलाबा बन्द करें।
 4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कटिंग खादी होने पर अवर अभियन्ता, सींच बाल, सींच पर्यवेक्षक अथवा जिलेदार को सूचित करें।
 - (ख) नहर न काटे, ब्या न लगाये, कुलाबों के स्थान में परिवर्तन न करें। यह दण्डनीय अपराध है। यदि आप उपर लिखी बातों पर ध्यान करेंगे तो नहर की टेल पर पानी अवश्य पहुँचेंगा। विधायक नहरों में अधिक से अधिक पानी पहुँचाने में हम सार्वदिन जुटे हुये हैं।
 - (ग) सम्पत्ती के नियामक हेतु किसी भी कार्य दिवस में अधिकारियों से तथा माह के द्वितीय बुधवार को सिंचाई बन्धु की बैठक में अधिशाषी अभियन्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

रोस्टर खरीफ 1425 फसली वर्ष 2017-18 जिगा सिंचाई वर्जा सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया

प्रभारी अधिकारियों / कर्मचारियों का परिचय

अधिशाषी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर उन्नाव टेलीफोन: कार्यालय 2820235

क्र.सं.	राजबहा एवं अधिकार क्षेत्र सहित	अवर अभियन्ता/अनुभाग	जिलेदार / जिलेदारी	श्री नरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (बालावा)	श्री शिवमन सिंह (प्रथम)	श्री राकेश कुमार तदेव	तदेव
1.	पुरवा शाखा 48.00 से 67.200 कि०मी० तक	श्री जयुना प्रसाद (उदवलपुर)	श्री रागेन्द्र कुमार साहू (बालावा)	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
2.	पुरवा शाखा 67.200 से 93.800 टेल तक एवं राजबहा लागत व टेल तक मय प्रणाली	श्री रागेन्द्र कुमार साहू (उदवलपुर)	श्री रागेन्द्र कुमार साहू (बालावा)	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव



‘सिचनेन समृद्धि भवति’
पुरवा शाखा प्रणाली
(द्वितीय भाग)

रोस्टर खरीफ
1425 फसली

वर्ष 2017-18
(संजीव कुमार झा)
अधिशाषी अभियन्ता
उन्नाव खण्ड-शारदा नहर
उन्नाव



सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश
मण्डल- षष्ठम मण्डल सिंचाई कार्य-लखनऊ
उन्नाव खण्ड, शारदा नहर उन्नाव

सम्मानित कृषक बन्धुओं हेतु सूचना

विद्यमान भाव्यों, क्या आप जानते हैं कि:-
 (1) फसल को उत्पादकता से अधिक पानी देने पर उपज कम होती है।
 (2) किसी कुलाबों की मूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
 (3) यदि किसी खेत का कुछ माप सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी० ऊँची सेइ से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लेना।
 (4) **साधन** : यदि किसी खेत की सिंचाई अर्धमानिक दम से की गई हो तो सींच कर अतिरिक्त पत्र गुना तक लगाया जायेगा।
 (5) **आवक्या** : यदि नहर का पानी बोसे खेत में फैला है तथा गहराई 15 सेमी० से अधिक हो तो दुगना, यदि 30 सेमी० से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा,लेना।
 (6) **सिंचाई कर में छूट** : देवी आपदा जैसे अना/पाला/टिड्डी/माई आदि में फसल नष्ट हो जाए तो 48 प्रतिशत पर कुछ नई 50से 74 प्रतिशत पर अना तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर में देय है।
 (7) **गलत इन्टरम** : अतिरिक्त खेत यदि सिंचित किया हो तो पानी वितरण के 21 दिन के अन्दर यदि डाल सींच को तोड़ तथा गलत दिवस अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर पाठान-यत्र अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी/ जिलेसी को देना चाहिए अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि पाठान-यत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें।
अधीक्षण अभियन्ता : नये कुलाबों की मांग,कम्पाण्ड विभाजन देहन तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के लिए उपलब्ध।
अधिशासी अभियन्ता : नहरों का संभालन, नहर समन्वित की नीतानी एवं मूनि का प्रतिकर एवं खादी से हानि, नालों की सफाई नहर आबक्या एवं तावान।
सहायक अभियन्ता : कुलाबों का स्थान एवं देहन की जुटे, पानी की मांग, नहरों की टेटों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।
उपराजस्व अधिकारी : गलत, इन्टरम, फसल सोख/मिसमारी मूल।
जिलेदार : पर्व वितरण, गलत इन्टरम।
अवर अभियन्ता : टेटों पर पानी की कमी, खादी,कटिंग, नहर एवं नालों की सफाई तथा कुलाबों का सही दम से लगाना।

सूचना :

क्या करें :-
 (1) सिंचाई से पूर्व गेली की सफाई करें।
 (2) पानी उचित गहराई से ही लगायें।
 (3) पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें।
 (4) पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कटिंग खादी होने पर अवर अभियन्ता, सींच पाल,सींच पर्यवेक्षक अथवा जिलेदार को सूचित करें।
 (5) नहर न काटे, बंधा न लगायें, कुलाबों के स्थान में परिवर्तन न करें।
 (6) नहरों में अर्धमानिक उपकरण न लगायें।
 (7) यदि आप उपर लिखी बातों पर ध्यान देंगे तो नहर की सफाई न करनी पड़ेगी।
 (8) नहरों में अर्धमानिक उपकरण न लगायें।
 (9) नहरों में अर्धमानिक उपकरण न लगायें।
 (10) नहरों में अर्धमानिक उपकरण न लगायें।
 (11) नहरों में अर्धमानिक उपकरण न लगायें।

रोस्टर खरीफ 1425 फसली वर्ष 2017-18 जिला सिंचाई वर्ग सहायक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया


प्रभासी अधिकारियों / कर्मचारियों का परिचय

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग
1	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
2	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
3	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
4	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
5	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
6	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
7	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
8	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
9	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
10	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7

उत्तम (बी) पत्र नहर

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग
1	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
2	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
3	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
4	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
5	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
6	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
7	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
8	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
9	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7
10	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	श्री रमेश कुमार (सिंचाई)	वर्ग 7

उत्तम (बी) पत्र नहर



‘सिंचनेन समृद्धि भवति’
उन्नाव शाखा एवं डलमऊ (बी) पम्प नहर प्रणाली
वर्ष 2017-18
(संजीव कुमार झा)
 अधिशासी अभियन्ता
 उन्नाव खण्ड-शारदा नहर

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश
 मण्डल-षष्ठम मण्डल सिंचाई कार्य-लखनऊ
 उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव

